FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0109 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/05/2026 14:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 10/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 10/03/2026

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:59 बजे **Time To (समय तक):** 21:17 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/05/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/05/2026 14:53:35 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 240 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** HANGING BIRAZ TOLL KOTA -CHITTORGARH ROAD, JILA KOTA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Vijay Kumar Swarnkar

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 05/12/1968 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Mohangarh, NATHDWARA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Mohangarh, NATHDWARA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMVILAS MEENA		पिता:KANHAIYA LAL	1. 40,HAROTI COLONY PARIHAR MARRIAGE GARDAN KE PASS,BANDHA DHARMPURA ROAD KOTA,KOTA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,55,275.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,55,275.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2026 को समय 05.59 पीएम पर श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को गोपनीय रूप से जरिए सूत्र सूचना प्राप्त हुई कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोटडी, जिला भीलवाडा, श्री रामविलास मीणा को पदस्थापन की प्रतिक्षा (एपीओ) किये जाने के पश्चात् भी उसके द्वारा पिछली दिनांक में बिल पास कर अवैध राशि ठेकेदार आदि से प्राप्त कर अपने वाहन मारूति स्विफ्ट वीडीआई कार रजिस्ट्रेशन नम्बर -। में कोटडी, भीलवाडा से रवाना होकर कोटा आ रहा है। सूत्र सूचना विश्वसनीय होने से श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों कोटा द्वारा मन् अनिष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर उक्त सूत्र सूचना के बारे में अवगत कराया तथा नियमानुसार आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए। श्रीमान के द्वारा हालात उच्चाधिकारीयो को निवेदन किये गये। संदिग्ध अधिकारी श्री रामविलास मीणा के कोटडी भीलवाडा से कोटा के लिये रवाना हो जाने की सूचना प्राप्त होने के कारण श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 को एक तहरीर क्रमांक 571 दिनांक 10.03.2026 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के नाम गवाह तलब कर साथ लाने की हिदायत कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा रवाना किया। श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी कोटा के पत्रांक 2085 दिनांक 10.03.2026 से दो स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त कुमार शर्मा पुत्र श्री राकेश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 35 साल निवासी ए-62, वर्धमान रॉयल सिटी, कुन्हाडी, कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, कोटा मोबाइल नंबर (व श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण, उम्र-36 निवासी 89 माली मौहल्ला, देवनारायण मंदिर के पास, कोटा बून्दी रोड, गोरधनपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल नर्सिगं ऑफिसर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, कोटा मोबाइल नंबर को साथ लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आये। उक्त स्वतंत्र गवाहान् से आपसी परिचय प्राप्त कर उनकों गोपनीय कार्यवाही से अवगत कराया तथा कार्यवाही मे बतौर स्वतंत्र गवाह रहने के संबंध में पूछा तो दोनों गवाहान ने कार्यवाही मे बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। समय 8.30 पी. एम पर सूत्र सूचना विश्वसनीय होने एवं वाहन, संदिग्ध अधिकारी के कोटडी (भीलवाडा) से रवाना होकर शीघ्र ही कोटा पहुचने की संभावना के मद्देनजर तथा समयाभाव के कारण तलाशी के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारण्ट प्राप्त किया जाना संभव नहीं होने के कारण मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक, श्री अभिषेक कानि. 197, श्री रवि कुमार कानि. 285 मय चालक मय सरकारी बोलेरो मय लेपटॉप, प्रिन्टर, सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड एवं आवश्यक सामग्री के तथा पीछे पीछे श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि.140 मय स्वतंत्र गवाहान श्री हेमन्त कुमार शर्मा एवं श्री मुकेश शर्मा एवं श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 मय प्राईवेट वाहन के आकस्मिक चैकिगं की कार्यवाही हेतु हैगिंग ब्रिज टोल, कोटा-चित्तौडगढ रोड, जिला कोटा के लिये रवाना हुआ। समय 09.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय हाजा से रवाना हो हैगिंग ब्रिज टोल, कोटा-चित्तौडगढ रोड, जिला कोटा पहॅुचा तथा सूत्र सूचना के मुताबिक वांछित वाहन रजि.न। की गोपनीय निगरानी में मय जाप्ता एवं गवाहान के चित्तौडगढ से कोटा आने वाले रोड पर मुकीम हुआ। समय 09.17 पी.एम. पर एक कार स्विफ्ट वीडीआई रजि. न बरगं स्लेटी हैंगिंग ब्रिज टोल पर चित्तौडगढ की तरफ से आकर रूकी, जिस पर मन उप पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के कार के पास पहुंचे, तो चालक की सीट पर काले रंग की टी शर्ट एवं नीले रंग की जींस की पेटं पहने हुआ व्यक्ति बैठा था तथा उसके पास साईड वाली सीट पर नीले छोटे चैक्स की शर्ट व नीले रंग की पेन्ट पहने हुये व्यक्ति बैठा हुआ था, जिनको मन् उप पुलिस अधीक्षक ने अपना, एसीबी टीम व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुए उपस्थित आने का मंतव्य बताया तथा वाहन को टोल नाके से आगे सडक पर बाई साईड की ओर खडा करवाया। वाहन चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बन्टेश कुमार पुत्र श्री बजरंग लाल उम्र 46 साल जाति मीणा निवासी बम्बूली पोस्ट सुहाना तहसील दिगोद जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर 95 वन्दना बिहार बोरखेडा कोटा एवं चालक की पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रामविलास मीणा हाल विकास अधिकारी कोटडी भीलवाडा होना बताया। चालक श्री बन्टेश कुमार से श्री रामविलास मीणा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये मेरे साले है। इनको एपीओ कर देने के कारण इन्हे कोटडी से कोटा लाने हेतु गया था। इन्हे आज कोटा लेकर जा रहा हूं। इस पर उनको कार से बाहर उतरवाकर

दोनो से उनके मोबाईल प्राप्त किये तत्पश्चात् कार्यालय के सरकारी मोबाईल मय मैमारी कार्ड के कार्यालय में पदस्थापित श्री अभिषेक कानि. 197 से ऑडियो-विडियों रिकॉर्डिगं चालू करवाई गई। नीले छोटे चैक्स की शर्ट व नीले रंग की पेन्ट पहने हुये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामविलास मीणा पुत्र श्री कन्हैयालाल मीणा हाल विकास अधिकारी कोटडी हाल एपीओ होना तथा कार नम्बर को अपनी होना बताया। इस पर मन् उप पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का पुनः परिचय देते हुये सूत्र सूचना से श्री रामविलास मीणा को अवगत करवाया कि आप अवैध रिश्वत राशि प्राप्त कर ला रहे है। हमे आपकी गाडी की तलाशी लेनी है। इस पर रामविलास से पूछा कि आपका क्या कहना है, इसमें क्या है तो श्री रामविलास ने कहा कि एक लाख रूपये है, एक लाख रूपये के बारे में पूछा तो रामविलास ने कहा कि प्रधान साहब करण सिंह बेलवा से टुकडो में उधार लिये थे। कितने टुकडो में कब लिये ये मुझे याद नही है। इसपर श्री रामविलास मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान से नियमानुसार लिवाई गई तो पेन्ट के पीछे की जेब में काले रंग के पर्स जिसमें पांच सौ रूपये के दस नोट, दो सौ रूपये का एक, पच्चास रूपये का एक व बीस रूपये का एक एवं पांच रूपये का एक सिक्का कुल 5,275 रूपये तथा आरजीएचएस कार्ड की फोटो प्रति मिली जिन्हे गवाह श्री हेमन्त शर्मा के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद श्री बन्टेश कुमार की जामा तलाशी लिवाई गई तो पहने हुए कपडो के अलावा सौ का एक नोट, बीस का एक नोट एवं दस रूपये के तीन नोट कुल 150 रूपये मिले जिन्हे गवाह श्री मुकेश शर्मा के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद नियमानुसार कार नम्बर की तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई गई तो गाडी के डैस्कबोर्ड में- पाच पाच सौ रूपये की दो गड्डीया कुल 1,00,000 रूपये, इन्च टेप, पावर बैंक, चार्जर एवं गाडी की पीछे की सीट पर एक खाकी रंग के गत्ते के कार्टून मे पांच साफे, एक कपडे की थैली जिसमें पूराने इस्तेमाली कपडे, एक काला बैंग जिसकी आगे की पहली व दुसरी जैब में दवाईया व मोबाईल चार्जर, हाथ की घडी, ग्रामीण कार्य निर्देशिका की किताब, बैग के पीछे की जेब में पांच पांच सौ रूपये के नोट की एक गड्डी कुल राशि 50,000 रूपये, एक पीले रंग की फाईल जिला परिषद् भीलवाडा पंचायत समिति कोटडी की कार्यालय आदेश संबंधी फाईल, एक वाहन संख्या की लॉग बुक की फोटो कॉपी, एक काले रंग की एक डायरी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना के काले फार्म, एक नीले रंग का प्लास्टिक का फोल्डर जिसमे रामविलास मीणा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संबधित दस्तावेज, एक प्लास्टिक का फोल्डर जिसमे कार्यभार हस्तान्तरण आदेश कोटडी जिला भीलवाडा का एक मूल रशीद अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति की दान में 50,000 रूपये की रशीद क्रमांक 5200 दिनांक 29.12.2024 की, दो बॉडी स्प्रे, कुछ इस्तेमाली कपडे मिले। वाहन की डिग्गी में एक बैग में इस्तेमाली कपडे, जुते, सात साफे, एक ब्लेजर आदि मिले। वाहन तलाशी के पश्चात् मिली राशि 1,50,000 रूपये के बारे में पुनः श्री रामविलास मीणा से पूछा तो उन्होने बताया कि साठ हजार रूपये में परसो कोटा से गया तब यही से लेकर गया था। एक लाख रूपये मैने आज ही रामस्वरूप गुर्जर से लिये है। इस पर रामस्वरूप गुर्जर के नम्बर श्री रामविलास के मोबाईल से लिये गये। इसके बाद वाहन तलाशी से पूर्व श्री रामविलास मीणा ने एक लाख रूपये प्रधान जी श्री करण सिह से लेने की कहा था तथा वाहन तलाशी के बाद दोबारा पूछने पर एक लाख रूपये रामस्वरूप गुर्जर कोटडी से लेना बताया है उक्त दोनो कथनो में विरोधाभास होने के कारण रामविलास से पुनः पूछा तो बताया कि साठ हजार रूपये तो प्रधान जी से लिये है तथा एक लाख रूपये रामस्वरूप गुर्जर से लिये है। जर्ये मोबाईल रामस्वरूप गुर्जर से ताईद करनी चाही लेकिन मोबाईल में सिग्नल नही होने से उस समय ताईद करना संभव नही होने व अग्रिम कार्यवाही हेतु रोशनी की व्यवस्था नही होने के कारण विडियोग्राफी बन्द करवाकर मय हमराह जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान एवं श्री रामविलास मीणा व श्री बन्टेश कुमार के तथा वाहन तलाशी में मिली राशि मोबाईल फोन मय वाहन नम्बर के हैगिंग ब्रिज टोल से मय सरकारी व प्राइवेट वाहन से रवाना हो समय 10.30 पीएम पर कार्यालय हाजा पहुचा। जहा पुनः स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के समक्ष श्री अभिषेक कानि0 से सरकारी मोबाईल से विडियोग्राफी चालु करवाई गई व श्री रामविलास मीणा से उक्त रूपयो के बारे में पुनः पुछा गया तो श्री रामविलास मीणा द्वारा श्री करण सिंह प्रधान जी एव श्री रामस्वरूप गुर्जर से रूपये उधार लेना बताया है जिसकी दोनो से उनके मोबाईल नम्बरो पर श्री करण सिंह प्रधान मों0 न0 व श्री रामस्वरूप गुर्जर मो0 न से ताईद करनी चाही तो श्री रामस्वरूप गुर्जर ने मोबाईल पर बताया कि मै मेरे मुंशी से पूछ कर बता सकता हु, मेरे द्वारा कई बार पूछने पर भी यही बात दोहराते रहे तथा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद श्री करण सिंह से मोबाईल पर वार्ता की गई तो उन्होने बताया कि मुझे याद नही है कि मैने पांच दस दिन में किसी को पैसे उधार दिये है। थोडी देर बाद दुबारा श्री करण सिंह को फोन कर पूछा कि आपने श्री रामविलास मीणा विकास अधिकारी को पैसे उधार दिये है क्या इस पर इन्होने कहा कि मैने नही दिये है मेरे मिलने वाले पेट्रोल पम्प वाले है उनसे देने के लिए कहा था। इस पर पूछा की आपने कितने पैसे दिलाये है तो उन्होने कहा कि पूछ कर बताता हु मुझे ज्ञात नही है। तथा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। श्री रामस्वरूप गुर्जर को दुबारा फोन किया तो सम्पर्क नही हुआ । उक्त टेलिफोनिक वार्ताए मेरे मोबाईल के स्पीकर को चालू कर की गई थी। जिसकी सरकारी मोबाईल में विडियो रिकोर्डिग की जाकर बाद कार्यवाही विडियो रिकोर्डिग बन्द करवाई गई। सूत्र सूचना के मुताबिक आकस्मिक चैकिंग में श्री रामविलास मीणा हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी जिला भीलवाडा हाल पदस्थापन की प्रतिक्षा में स्वयं की कार एवं जामा तलाशी में मिली राशि 1,55,275/-रूपये है, जिसके संबंध में श्री रामविलास मीणा द्वारा दिया गया जवाब

संतोषजनक नहीं होने से उक्त राशि सूत्र सूचना के मुताबिक पिछली दिनांक में बिल पास कर अवैध राशि ठेकेदार आदि से प्राप्त किया जाना सही प्रतीत होने तथा राशि संदिग्ध होने के कारण कार एवं जामा तलाशी में मिली राशि 1,55,275/-रूपये एवं, एक मूल रशीद अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति की दान में 50,000 रूपये की रशीद क्रमांक 5200 दिनांक 29.12.2024 को नियमानुसार जब्त कर कब्जे एसीबी लिया गया तथा जामा तलाशी व कार तलाशी में मिले अन्य सामानो व मोबाईल तथा वाहन नम्बर को श्री रामविलास मीणा को दुरस्त हालात मे सुपूर्द किया गया। श्री बन्टेश कुमार की जामा तलाशी में मिले 150 रूपये तथा मोबाईल को बन्टेश कुमार को सुपूर्द किया गया। श्री रामविलास मीणा विकास अधिकारी कोटडी भीलवाडा हाल एपीओ के आवास मकान नम्बर 40 हाडौती कॉलोनी परिहार मैरिज गार्डन के पास बन्धा धर्मपुरा रोड, कोटा की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारी को निवेदन किया गया। दौराने आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही मे समस्त वैधानिक प्रावधानो की पूर्ण पालना की गई तथा आकस्मिक चैकिंग नियमानुसार ली जाकर फर्द आकस्मिक चैकिंग मुर्तिब कर गवाहान को दिखाई व पढाई गई, सभी ने पढकर सही होना मानकर संबधितो ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 11.03.2026 समय 01.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा मे स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री अभिषेक कानि. 197 द्वारा मोबाइल में लगे मूल मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में संरक्षित विडियो रिकॉर्डिंग को बिना छेड़छाड़/कांटछांट के सुरक्षित हालात में लेपटॉप से जोड़कर उसमें रिकॉर्ड वीडियो की हैश वैल्यू निकाली गयी। इसके पश्चात् 02 पेनड्राइव San Disk 32GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flash Drive को लैपटाप में बारी-बारी से लगवाया जाकर खाली होना सुनिश्चित किया गया। इसके पश्चात उक्त 02 पेनड्राइव को बारी-बारी से लैपटॉप में लगाकर आकस्मिक चैकिंग की विडियों रिकॉर्डिंग की मूल मेमोरी कार्ड से कॉपी की गयी। उक्त मूल मेमोरी कार्ड व दोनो पेनड्राइव को बारी-बारी से चैक किया जाने पर विडियों रिकॉर्डिंग संरक्षित/सेव/कॉपी होना सुनिश्चित किया गया। मूल मैमोरी कार्ड व एक पेनड्राइव को अलग-अलग कवर मे रखकर कवर को अलग-अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया जाकर बतौर वजह सबूत जप्त किया गया एवं एक पेनड्राइव को अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान/अग्रिम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। समय 02.30 ए.एम. पर जामा तलाशी व कार तलाशी में मिले अन्य सामानो व मोबाईल तथा वाहन नम्बर को श्री रामविलास मीणा को दुरस्त हालात मे सुपूर्द किया गया तथा श्री बन्टेश कुमार की जामा तलाशी में मिले 150 रूपये तथा मोबाईल को बन्टेश कुमार को सुपूर्द किया गया। श्री रामविलास मीणा को अग्रिम कार्यवाही/ अनुसंधान में सहयोग करने हेतु पाबन्द कर श्री रामविलास मीणा व श्री बन्टेश कुमार को सकुशल कार्यालय से रूखसत किया गया। जब्तशुदा राशि व विडियो रिकोर्डिग का मूल मैमोरी कार्ड व 2 पेनड्राइव को श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी को सुपूर्द कर मालखाने में सुरक्षित रखवायी गई। स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया। आकस्मिक चैकिगं मे मिली राशि 1,55,275/-रूपये, एक मूल रशीद अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति की दान में 50,000 रूपये की रशीद क्रमांक 5200 दिनांक 29.12.2024 को एवं मैमोरी कार्ड एवं पेनड्राईब के सील्डशुदा पैकिट को मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को सुपूर्द किया गया। दिनांक 10.03.2026 को श्री रामविलास मीणा की जामा व वाहन कार स्विफ्ट वीडीआई रजि.न RJ 17 CA 5312 की आकस्मिक चैकिंग के दौरान सरकारी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में विडियो रिकॉर्डिंग की गई थी विडियो रिकोर्डिंग में काम में लिये गये मूल मेमोरी कार्ड जिसको जरिये फर्द शील्ड किया गया था तथा आकस्मिक चैकिंग के संदिग्ध श्री रामविलास मीणा के आवास की खाना तलाशी श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा द्वारा की गई थी, उक्त आकस्मिक चैकिंग व खाना तलाशी की मूल फर्द व फर्द जब्ती मेमौरी कार्ड एव प्रतिलिपिकरण व आकस्मिक चैकिंग व खाना तलाशी के दौरान की विडियो रिकॉर्डिंग के शील्डशुदा दो मूल मेमौरी कार्ड को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा में जरिये पत्रांक 577 दिनाक 12.03.2026 से श्री अब्दूल सत्तार कानि. 158 से प्रेषित किया गया है। दौराने आकस्मिक चैकिंग श्री रामविलास मीणा की जामा तलाशी व वाहन कार स्विफ्ट वीडीआई रजि.न

की तलाशी में कुल राशि 1,55,275/रूपये बरामद हुए है। उक्त राशि के प्राप्ति स्त्रोत के बारे मे संदिग्ध अधिकारी श्री रामविलास मीणा के द्वारा अपने कथनों को बार-बार बदलने एवं संतोषप्रद जबाब नहीं देने, सूत्र सूचना संदिग्ध श्री रामविलास मीणा को पदस्थापन की प्रतिक्षा (एपीओ) किये जाने के पश्चात् भी उसके द्वारा पिछली दिनांक में बिल पास कर अवैध राशि ठेकेदार आदि व संदिग्ध द्वारा राशि के प्राप्ति स्त्रोत के बारे मे बताये गए तथ्यों के मुताबिक उक्त राशि से अवैध व भ्रष्ट स्त्रोत से एकत्रित किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। संदिग्ध अधिकारी श्री रामविलास मीणा का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 13(1)(बी), 13(2) पीसी एक्ट के अन्तर्गत अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित है, जिसके संबंध मे प्रकरण दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है। अतः श्री रामविलास मीणा पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति मीणा उम्र 53 साल निवासी ग्राम पीपल्दा पोस्ट सारोलाकलां, तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल निवास मकान नम्बर 40 हाडौती कॉलोनी परिहार मैरिज गार्डन के पास बन्धा धर्मपुरा रोड, कोटा हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी जिला भीलवाडा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 13(1)(बी), 13(2) पीसी एक्ट में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान

महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (अनिष अहमद) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामविलास मीणा पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति मीणा उम्र 53 साल निवासी ग्राम पीपल्दा पोस्ट सारोलाकलां, तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल निवास मकान नम्बर 40 हाडौती कॉलोनी परिहार मैरिज गार्डन के पास बन्धा धर्मपुरा रोड, कोटा हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी जिला भीलवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मुकुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा एस.यू. कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 690 पर अंकित है।(पीयूष दीक्षित)पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 701-04 दिनांक 05.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MUKUL SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/05/2026 14:55:20

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)